



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :— बु0वि0 / सम्ब0 / 2024 / ५०६७

दिनांक :— ३० / ०८ / 2024

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) की धारा 37(2)के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 10.06.2023 एवं कार्यपरिषद की तत्सम्बन्धी अनुमति की प्रत्याशा में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10.06.2023 के अनुपालन में रामेश्वर प्रसाद विधि महाविद्यालय, पचनेही, बाँदा को स्ववित्तपोषित योजनात्तर्गत स्नातक रत्तर पर विधि संकाय में पांच वर्षीय (B.A.L.L.B) पाठ्यक्रम में सत्र 2023–24 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :—

- 1 संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुरांगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुरांगत शासनादेशों तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2 संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
- 3 संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णत एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लियें जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- 4 संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5 महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार—कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भूगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- 6 प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएँ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 7 संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुरांगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- 8 संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421 / सत्तर-1-2015-16(20) / 2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- 9 महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।
- 10 संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
- 11 College must take Sincere interest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, रामेश्वर प्रसाद विधि महाविद्यालय, पचनेही, बाँदा।
2. आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र शासन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

Ap
कुलसचिव